

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर


क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/2020-21

दिनांक- 21-05-2020

सूचना

प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों की वर्ष 2020-21 डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची जारी की जा रही है। उक्त पात्रता सूची के सम्बंध में यदि किसी कार्मिक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति ऑन लाईन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित आवश्यक सभी कॉलमों की पूर्ण पूर्ति एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय की ई. मेल. आई. डी. पर दिनांक 28.05.2020 सायं 6.00 बजे तक अपलोड कर सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत अपलोड की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

www.rajteachers.com


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान
बीकानेर

आपत्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1	आवेदक मय पिता का नाम	
2	पदनाम	
3	कार्यरत स्थान	
4	जन्म तिथि	
5	मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक	
6	राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक	
7	वरिष्ठता अवधि	
8	वर्ग (अजा/अजजा हो तो वर्ग अंकित किया जावे)	
9	आपत्ति का विवरण	

आपत्ति प्रस्तुत करने की दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा पूर्ति हेतु :-

आपत्ति रजिस्टर के अनुसार प्राप्ति क्रमांक व दिनांक	
मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक	
राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक	
वरिष्ठता अवधि	
मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में वर्तमान में दर्ज स्नातकोत्तर योग्यताओं का विवरण मय उत्तीर्ण दिनांक	
मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में वर्तमान में अंकित जन्म तिथि	
मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में वर्तमान में अंकित वर्ग (यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा वर्ग का है तो अंकित करें)	
आवेदक द्वारा की गई आपत्ति के संदर्भ में संक्षिप्त तथ्यात्मक टिप्पणी दें तथा यह बतावें कि क्या आवेदक द्वारा की गई आपत्ति स्वीकार योग्य है अथवा नहीं?	

हस्ताक्षर संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/2020-21

दिनांक- 21-05-2020

समस्त संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
शिक्षा विभाग

विषय:- प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी हेतु सूचना उपलब्ध करवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। पात्रता सूची के सम्बंध में दिनांक 28.05.2020 तक आपत्तियां आपके कार्यालय के माध्यम से आमंत्रित की गई है। आप अपने कार्यालय में दिनांक 28.05.2020 तक प्राप्त आपत्तियों का रजिस्टर संधारित करते हुए उसमें इन्द्राज करेंगे तथा प्राप्त आपत्ति पर आपके कार्यालय के उपयोगार्थ अंश पर आप अपनी पूर्ण तथ्यात्मक टिप्पणी अंकित करेंगे तथा पूर्ण औचित्य अंकित करते हुए स्वीकार योग्य सभी आपत्तियों को दिनांक 01.06.2020 को इस कार्यालय में कार्य से संबंधित लिपिक के साथ अनिवार्यतः भिजवाने की कार्यवाही करेंगे।

इस सम्बंध में लेख है कि अपलोड की गई पात्रता सूची में अंकित आप अपने मण्डल से संबंधित कार्मिकों से संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं की सूचना दिनांक 01.06.2020 को अनिवार्यतः अपने कार्यालय के कार्य से संबंधित लिपिक के साथ हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ भिजवाने की व्यवस्था करावे:-

1. पात्रता सूची में आपके मण्डल की वरिष्ठता से संबंधित सम्मिलित सभी कार्मिकों की निम्नांकित सूत्र में सूचना तैयार कर दी जावे:-

पात्रता सूची की क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	वर्ग	यदि महिला कार्मिक है तो लिंग F लिखें
1	2	3	4	5	6	7

वर्तमान कार्यरत स्थान	यदि कार्मिक वर्तमान में उच्च पद पर कार्यरत है तो उच्च पद का पदनाम	उच्च पद प्राप्ति का प्रकार यथा-डीपीसी, सीधी भर्ती, अस्थाई पदोन्नति, रिज्यू एवं रिट्रीजन(आर. आर.) अथवा	यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन चल रही है अथवा निर्णित हो चुकी है तो निम्न सूचना दें			
			सीसीए नियम 16 व 17 जिसके अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है/रही है	ज्ञापन दिनांक	विचाराधीन कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	दिये गये दण्डादेश की दिनांक एवं दिये गये दण्ड का

21

		पाते वेतन				विवरण अथवा नवीनतम स्थिति
9	10	11	12	13	14	15

दिनांक 31.05.2002 को कार्मिक के संतानों की कुल संख्या	दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या	कुल संतानों की संख्या	अन्य कोई विवरण जो देना चाहें
16	17	18	19

- अपलोड की गई पात्रता में सभी कार्मिकों का वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल का नाम दर्ज है, अतः वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल से संबंधित उप निदेशक(माध्यमिक) का यह दायित्व है कि वे अपने मण्डल से संबंधित सभी कार्मिकों की उक्त निर्धारित प्रपत्र की पूर्ण एवं सही सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायें। किसी भी कार्मिक के सम्बंध में यह प्रत्युत्तर नहीं दिया जावे कि वह कार्मिक उनके मण्डल के अधीन कार्यरत नहीं है। यदि कोई कार्मिक, जिस अवधि की वरिष्ठता सूची में उसका नाम दर्ज है एवं उस अवधि के बाद वह किसी अन्य मण्डल में स्वेच्छा से स्थानान्तरण करवाकर चला गया है, तो ऐसे कार्मिक का नाम संबंधित अवधि की मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची से नाम विलोपित करते हुए जारी विलोपन आदेश की प्रति सूचना के साथ आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।
- यदि पात्रता सूची में अंकित कोई कार्मिक डीपीसी से चयनोपरान्त अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त किसी उच्च पद प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) अथवा प्र0अ0 (मा.वि.) के पद पर कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 10 व 11 की पूर्ण पूर्ति करते हुए दी जावे। ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में उनके नाम विलोपित किये जाकर विलोपन आदेश की प्रति साथ में लगायें। यदि कोई कार्मिक वर्तमान में अस्थाई पदोन्नति (रिव्यू एवं रिवीजन) के आधार पर अथवा पाते वेतन में पदस्थापन के आधार पर किसी उच्च पद प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) अथवा प्र0अ0 (मा.वि.) के पद पर कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 10 व 11 की पूर्ण पूर्ति करते हुए दी जावे।
- पात्रता सूची में अंकित किसी कार्मिक द्वारा यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली गई हो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसका विवरण निर्धारित प्रपत्र में कॉलम संख्या 19 में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे। गत कई वर्षों से यह देखा गया है कि आप द्वारा सही सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण मृत कार्मिकों, प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों/लोक सेवकों, अन्य मण्डल में स्वेच्छापूर्वक स्थानान्तरण पर गये कार्मिकों आदि अपात्र अभ्यर्थियों का डीपीसी में चयन हो जाता है, इस कारण ऐसी स्थिति समाचार पत्रों में सुर्खियां बन जाती है और इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। इस पात्रता सूची में यदि आप द्वारा अपूर्ण सूचना के कारण किसी अपात्र अभ्यर्थी का चयन हुआ तो उसके लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यदि अपूर्ण सूचना देने के कारण भविष्य में यदि रिव्यू डीपीसी की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे तथा इस हेतु आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- पात्रता सूची में अंकित किसी कार्मिक यदि अन्य विभाग में चला गया हो तो उसका विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में कॉलम संख्या 19 में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे एवं ऐसे अभ्यर्थियों का संबंधित मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची से नाम विलोपित करते हुए विलोपन आदेश की प्रति साथ में भिजवायें।

6. पात्रता सूची में अंकित कार्मिकों की रनातकोत्तर योग्यता, जन्मतिथि, वर्ग एवं लिंग आदि का सत्यापन आप अपने स्तर पर अवश्य कर लें एवं इसमें किसी परिवर्तन की स्थिति हो तो उसकी सूचना आवश्यक रूप से कॉलम संख्या 19 में अंकित की जावे।
7. पूर्व में आप द्वारा गत वर्ष 2019-20 की डीपीसी के समय उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जिन कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन बतलाई गई थी एवं दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतानों की संख्या बतलाई गई थी, उसका विवरण कार्मिक के नाम के सम्मुख पात्रता सूची में अंकित कर दिया गया है, उसमें यदि कोई परिवर्तन हो गया हो तो उसकी जानकारी भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे।

उक्त वांछित सूचना को पूर्ण महत्वता प्रदान करते हुए गंभीरता के साथ लें तथा निर्धारित प्रपत्रों के सभी कॉलमों की आवश्यकतानुसार पूर्ण पूर्ति आवश्यक रूप से की जावे। आपके मण्डल से संबंधित सभी अभ्यर्थियों की सूचना वरिष्ठतानुसार आपके मण्डल कार्यालय स्तर पर ही तैयार की जावे, ऐसा नहीं होना चाहिये कि संबंधित जि.शि.अ. माध्यमिक कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त कर इस कार्यालय को अग्रेषित कर दी जावें। आप अपने अधीनस्थ जि.शि.अ. माध्यमिक से प्राप्त सभी सूचनाओं का वरिष्ठता क्रम के अनुसार पूर्ण जांच करते हुए पूरे मण्डल की समेकित सूचना अपने कार्यालय पर तैयार करते हुए उक्त सूचना निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः भिजवाने सम्बंधी कार्यवाही आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूचि लेकर सम्पन्न करावें। यदि निर्धारित अवधि में आप द्वारा सूचना कार्य से संबंधित लिपिक के साथ इस कार्यालय को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में नहीं भिजवाई गई तो उसके लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे तथा आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर